


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 119/2024

उनवानी :- महेश व अन्य बनाम चन्दा व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
16.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। सायलान अधिवक्ता उपस्थित आये। सायलान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। मुकदमा को NOT PRESS में खारिज कराना चाहते हैं। अतः मुकदमा नं. 119/2024 उनवानी महेश व अन्य बनाम चन्दा व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (हेमराज गुर्जर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>